

संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

राज्य तथा राज्य से बाहर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बैठकों, पर्वों में प्रतिभाग तथा स्थानीय स्तर पर मासिक किराये के वाहन हेतु निविदा सूचना :-

वित्तीय वर्ष 2017-18

निविदा सूचना सं० /सं०नि०उ०/छः-41/2017-18 दिनांक अक्टूबर,2017

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड, एम०डी०डी०ए० कालोनी, चन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून द्वारा समय-समय पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मान समारोहों, एवं उत्सवों में प्रतिभाग करने वाले ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कलाकारों, साहित्यकारों, लब्ध प्रतिष्ठित कवियों तथा लेखकों के प्रयोगार्थ दैनिक तथा मासिक किराये के वाहनों हेतु पंजीकृत स्थानीय फर्मों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं दिनांक 16/11/2017 की अपरान्ह 2.00 बजे तक अथवा उक्त तिथि को अवकाश होने की दशा में अगले कार्य दिवस को वित्तीय प्रस्ताव एवं पात्रता से सम्बन्धित दस्तावेज अलग-अलग लिफाफे में तथा दोनों छोटे लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील बन्द निविदाएं आमंत्रित है। धरोहर धनराशि रू० 40,000/- किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ०डी०आर०/ एन०एस०सी०/सी०डी०आर० जो कि निदेशक, संस्कृति निदेशालय देहरादून के नाम पर बन्धक हो, संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि/समय के पश्चात् निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेंगी। निविदाएं दिनांक 16/11/2017 की अपरान्ह 3.00 बजे गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

निविदा प्रपत्र विज्ञापन की तिथि से दिनांक 16/11/2017 प्राप्त 11:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयान्तर्गत रू० 590/- मात्र की धनराशि नगद जमाकर प्राप्त की जा सकती है। विभागीय वेबसाईट www.uttarakhandculture.in पर निविदा प्रपत्र एवं शर्तें उपलब्ध है। वेबसाईट से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र मूल्य रू० 590/- नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट पृथक रूप से निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम पर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

निदेशक संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड

संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

राज्य तथा राज्य से बाहर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बैठकों, पर्वों में प्रतिभाग तथा स्थानीय स्तर पर मासिक किराये के वाहन हेतु निविदा प्रपत्र
वित्तीय वर्ष 2017-18

मूल्य - 500=00
जी०एस०टी० - 90=00

कुल मूल्य - 590=00


- 1-निविदा सूचना सं०/सं०नि०उ०/छ-41/2017-18 दि० . **2017**
- 2- निविदा प्राप्त करने की तिथि- विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दि० **16-11-2017** को 11.00 बजे पूर्वान्ह तक।
- 3-निविदा जमा करने की तिथि- दि० **16-11-2017** को 2.00 बजे अपरान्ह तक।
- 4-निविदा खोले जाने की तिथि- दि० **16-11-2017** को सायं 3.00 बजे।
- 5-निविदा प्रेषण स्थान- संस्कृति निदेशालय, एम०डी०डी०ए० कालोनी, डालनवाला, चन्दर रोड, देहरादून।
- 6-निविदादाता फर्म/संस्था का नाम व पता
- 7-धरोहर धनराशि- रू० 40,000/- (चालीस हजार)
- 8-वाहन विवरण :-

क्र०	वाहन विवरण	मासिक किराया (लोकल) हेतु	उत्तराखण्ड राज्य में		उत्तराखण्ड राज्य से बाहर		वाहन 8.00 घण्टे प्रयोग में होने के पश्चात हाल्ट प्रति घण्टा दर
			ए०सी० प्रति कि०मी० दरें	नान ए०सी० प्रति कि०मी० दरें	ए०सी० प्रति कि०मी० दरें	नान ए०सी० प्रति कि०मी० दरें	
1	एम्बेसेडर						
2	मर्सडीज						
3	इण्डिका						
4	होण्डासिटी						
5	टाटा सुमो						
6	टाटा इण्डिगो						
7	क्वालिस						
8	स्कापियो						
9	जाइलो						
10	इनोवा						
11	स्वीफ्ट डिजायर						
12	टेम्पो ट्रेवला-12 सीटर						
13	मिनी बस- 22 सीटर						
14	मिनी बस- 32 सीटर						
15	बड़ी बस- 42 सीटर						
16	बड़ी बस- 52 सीटर						
17	टाटा 407 सामान दुलान हेतु						

नियम एवं शर्तें

1. दरें वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु मान्य होगी। आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ायी जा सकती है।
2. राज्य में तथा राज्य से बाहर वाहन 8 घण्टे प्रयोग होने के पश्चात ही हास्टिंग चार्ज देय होगा।
3. राज्य में 100 किमी० प्रतिदिन की दर से देय किराया अंकित करें।
4. नियमानुसार जी०एस०टी० की दरें अंकित करें।
5. वाहन अच्छी स्थिति का तथा पंजीकृत हो एवं चालक के पास पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र हेतु वैद्य लाइसेंस होना अनिवार्य है।
6. मांग के अनुसार तत्काल वाहन उपलब्ध कराने होंगे।
7. निविदा के साथ 40,000/-मात्र की एफ०डी०आर/एन०एस०सी०/सी०डी०आर० जो कि निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून, के नाम बन्धक हो, संलग्न करना होगा।
8. समस्त वाहन वर्ष 2011 के बाद के पंजीकृत हों।
9. फर्म/संस्था/एजेन्सी का पेन नं० एवं जी०एस०टी० न० छायाप्रति संलग्न करें।
10. वाहनों के पंजीकरण एवं बीमा से सम्बन्धित अन्य आवश्यक प्रपत्र पूर्ण होने चाहिए।
11. वाहन में फ्यूल, टोल, स्टेण्ड पार्किंग तथा अन्य व्यय स्वयं वाहन स्वामी/फर्म को वहन करना होगा।
12. राजकीय विभागों में कार्य करने वाली फर्मा को वरीयता दी जाएगी।
13. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।
14. मूल निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
15. फर्म का टर्न ओवर रूपये दस लाख या उससे अधिक हो। गत दो वर्ष का आयकर रिटर्न सी०ए० द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
16. वाहन में किसी भी प्रकार की कमी/दुर्घटना अथवा जान-माल की हानि के लिये फर्म पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगी।
17. यात्रा के दौरान वाहन खराब होने की स्थिति में तत्काल उसी स्थान पर अच्छा वाहन उपलब्ध कराना फर्म का उत्तरदायित्व होगा।
18. कार्य संतोषजनक न होने की दशा में बीजक की धनराशि में 20 प्रतिशत कटौती का अधिकार विभाग को होगा।
19. कार्य न करने की दशा में जमा बन्धक धनराशि जब्त करने का अधिकार विभाग को होगा।
20. वाहन चालक के ड्यूटी से नदारद होने/मोबाईल बन्द करने/शराब के नशे में पाये जाने की दशा में तद्दिनांक का वाहन किराया देय नहीं होगा एवं अग्रतः आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
21. फर्म द्वारा चालक के साथ ड्यूटी स्लिप पर वाहन सं०, चालक का मोबाईल नम्बर, दिनांक, समय, मीटर रीडिंग अंकित करना अनिवार्य होगा।
22. निदेशक, संस्कृति विभाग को समस्त निविदाएं निरस्त करने का अधिकार होगा।
23. वित्तीय तथा पात्रता/शर्तों से सम्बन्धित निविदा अलग-अलग लिफाफे में तथा दोनो लिफाफे एक साथ बड़े लिफाफे में सील बन्द निविदा प्रस्तुत करें।
24. विवाद के लिये न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

नोट- हमने विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है। विभाग द्वारा मांगी गई सूचनायें हमारी फर्म द्वारा सही-सही दी गई हैं। यदि कोई जानकारी असत्य पायी गई तो फर्म इसके लिये स्वयः उत्तरदायी रहेगी।


(बीना भट्ट)
निदेशक

निविदादाता के हस्ताक्षर.....

नाम.....